प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 93/2022

1 – डॉ. शशिकल कोसम पति आशीष कुमार कोसम लगभग 46 वर्ष निवासी सरकारी चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला–महासमुंद, छत्तीसगढ़

2 – डॉ. नरेंद्र प्रसाद नरसिंह पिता स्वर्गीय सी. एल. नरसिंह 45 वर्ष निवासी सरकारी चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला–महासमुंद, छत्तीसगढ़

3 – डॉ. ओंकार कश्यप पिता स्वर्गीय श्री बोधराम कश्यप 43 वर्ष निवासी सरकारी चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला–महासमुंद, छत्तीसगढ़

4 – डॉ. ताबिश एस. एम. अहमद पिता एस. एम. अहमद लगभग 38 वर्ष निवासी स्वर्गीय श्री लखिराम अग्रवाल मेमोरियल चिकित्सा कॉलेज, रायगढ़, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

––– याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य – सचिव के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, पुरानी नर्स छात्रावास, डी. के. एस. भवन परिसर, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

4 – छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

5 – राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अपने महासचिव के द्वारा, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारका, फेज–1, नई दिल्ली, पिन कोड–110077, जिला नई दिल्ली, दिल्ली

––उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 436/2022

1 – डॉ. जयंती चंद्रकर, पति डॉ. ज्योतिर्मय चंद्रकर, लगभग 45 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर (पैथोलॉजी), छत्तीसगढ़ चिकित्सा संस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़

2 – डॉ. रश्मि गुप्ता पिता डॉ. शरद चंद्र गुप्ता लगभग 48 वर्ष छत्तीसगढ़ चिकित्सा संस्थान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर (पैथोलॉजी)

3 – डॉ. शुभ्रा अग्रवाल पति श्री बाल्मीकि अग्रवाल लगभग 43 वर्ष छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर (सामुदायिक चिकित्सा)

4 – डॉ. के. एल. आजाद, पिता श्री एस आर. आजाद लगभग 49 वर्ष ,स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल चिकित्सा कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर छत्तीसगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर (पैथोलॉजी)

5 – डॉ. शिक्षा जांगड़े पति डॉ. संजय राय लगभग 48 वर्ष छत्तीसगढ़ चिकित्सा संस्थान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर (शरीर रचना विज्ञान)

6 – डॉ. आशीष सिन्हा पिता श्री डी. एस सिन्हा लगभग 44 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर (सामुदायिक चिकित्सा), पं. जे. एन. एम. मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7 – डॉ. बिमला बंजारे पति श्री डी. एस. चंदेल लगभग 55 वर्ष , एसोसिएट प्रोफेसर (पैथोलॉजी), पं. जे. एन. एम. चिकित्सा कॉलेज, रायपुर छत्तीसगढ़।

8 – डॉ. समीर कुमार पैनक्रा, पिता श्री लक्ष्मण राम झंप 38 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर (समुदाय चिकित्सा), छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर छत्तीसगढ़।

9 – डॉ. केशव कश्यप पिता स्वर्गीय डॉ. आर. एल. कश्यप 40 वर्ष छत्तीसगढ़ चिकित्सा संस्थान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर (पैथोलॉजी)

10 – डॉ. अमित कुमार पिता स्वर्गीय डी. पी. श्रीवास्तव 41 वर्ष छत्तीसगढ़ चिकित्सा संस्थान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर (शरीर रचना विज्ञान)

11 – डॉ. विवेक शर्मा पिता श्री पी. शर्मा लगभग 40 वर्ष छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर (सामुदायिक चिकित्सा)

12 – डॉ. सुपर्ना गांगुली पिता स्वर्गीय श्री ए. के. गांगुली, लगभग 49 वर्ष छत्तीसगढ़ चिकित्सा संस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर (पैथोलॉजी)

13 – डॉ. रेखा बारापात्रे, पिता स्वर्गीय श्री के. टी. ब्रापात्रे, लगभग 49 वर्ष छत्तीसगढ़ चिकित्सा संस्थान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर (सूक्ष्म जीव विज्ञान)

14 – डॉ. जंडेल सिंह ठाकुर पिता लेफ्टिनेंट श्री कुवर राज सिंह 46 वर्ष छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर (दंत चिकित्सा)

15 – डॉ. दिवाकर धुरंधर पिता श्री पी. एस लगभग 37 वर्ष छत्तीसगढ़ चिकित्सा संस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर (शरीर रचना विज्ञान)

16 – डॉ. यामिनी भेंडिया पति डॉ. सुभाष रावते, लगभग 39 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर (नेत्र विज्ञान), छत्तीसगढ़ चिकित्सा संस्थान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

17 – डॉ. मिनी शर्मा पति श्री जयप्रकाश लगभग 43 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर (सामुदायिक चिकित्सा), पं. जे. एन. एम. मेडिकल कॉलेज, रायपुर छत्तीसगढ़।रायपुर छत्तीसगढ़।

18 – डॉ. नेहा श्रीवास्तव पिता श्री आर. के. श्रीवास्तव लगभग 40 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर (सामुदायिक चिकित्सा), पं. जे.एन.एम.मेडिकल कॉलेज, रायपुर छत्तीसगढ़

19 – डॉ. स्मिता वर्मा पति श्री भगवती प्रसाद वर्मा लगभग 39 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर (सामुदायिक चिकित्सा), पं. जे. एन. एम. मेडिकल कॉलेज, रायपुर छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20 – डॉ. अनिल पांडे पिता श्री मोहन लाल पांडे, 44 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर (बाल चिकित्सा तथा निवारक दंत चिकित्सा), सरकारी दंत महाविद्यालय तथा अस्पताल, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख सचिव के द्वारा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, नव रायपुर अटल नगर, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़

2 – निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डीएमई), इंद्रावती भवन, नव रायपुर अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।3 – लोक सेवा आयोग, सचिव के द्वारा, लोक सेवा आयोग, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

4 – राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अपने महासचिव के माध्यम से, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारका फेज–1, नई दिल्ली, पिन कोड–110077

--- उत्तरवादी

<u>रिट याचिका सेवा सं 7799/2022</u>

1 – वंदना चौहान पिता स्वर्गीय श्री एम. चौहान वर्तमान में लगभग 59 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग, निवासी–स्ट्रीट 03, ब्लॉक 18 बी, सेक्टर 02, भिलाई नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़

2 – वंदना चांसोरिया, पति सुनील चांसोरिया लगभग 56 वर्ष वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायपुर, हरिभूमि प्रेस निवासी पीछे, तक्रापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – नीतू त्रिपाठी पति श्री विनय त्रिपाठी, 48 वर्ष , वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायपुर, निवासी–413, ब्लॉक बी, अशोक इम्प्रेशन, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर, तहसील तथा जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से

2 – निदेशक चिकित्सा शिक्षा, पुराने नर्स छात्रावास निदेशालय, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – उप सचिव, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर, तहसील तथा जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

4 – छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, सचिव के माध्यम से, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

5 – प्रेसिडेंट 8 वीं मंजिल के माध्यम से भारतीय नर्सिंग अधिवक्ता एनबीसीसी सेंटर, प्लॉट नंबर 2 कम्युनिटी सेंटर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020

––उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका सेवा सं 114/2022</u>

1 – डॉ. अरुणाभ मुखर्जी पिता स्वर्गीय ए. निवासी मुखर्जी, आयु पिता 39 वर्ष गवर्नमेंट चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

2 – डॉ. के. बी. पटेल, पिता काला चंद पटेल, आयु लगभग 37 वर्ष निवासी गवर्नमेंट चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

3 – डॉ. तृप्ति बदरिया, पति विकास बदरिया, आयु लगभग 35 वर्ष निवासी गवर्नमेंट चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

4 – डॉ. निज़ा मोंगा, पति रजत बंछोर, आयु लगभग 33 वर्ष निवासी।गवर्नमेंट चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

5 – डॉ. रजत बंछोर, पिता आर. निवासी. बंछोर, आयु पिता 34 वर्ष।गवर्नमेंट चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

6 – डॉ. भवानी भगत, पति डॉ. कामेश्वर सिंह, आयु लगभग 34 वर्ष निवासी।गवर्नमेंट चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

7 – डॉ. उषा आर्मो,पिता डॉ. वाई. एस. सुरोतिया निवासी आयु लगभग 39 वर्ष है।गवर्नमेंट चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

8 – डॉ. निवासीजल चंद्राकर, पत्नी डॉ. रोशन लाल वर्मा, आयु लगभग 33 वर्ष गवर्नमेंट चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

9 – डॉ. प्रतिमा, पिता संतराम कोशेवारा, आयु लगभग 34 वर्ष निवासी गवर्नमेंट चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

10 – डॉ. आरती भगत, पिता स्वर्गीय निवासी जे. आर. भगत, आयु लगभग 31 वर्ष ,सरकारी चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़)

11 – डॉ. माणिक निवासी नेती, पिता उमेंद सिंह नेती, 34 वर्ष शासकिय चिकित्सा कॉलेज, महासमुंद, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिले के माध्यम सेःरायपुर, छत्तीसगढ़

2 – निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, पुरानी नर्स छात्रावास, डी. के. एस. भवन परिसर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

3 – उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

4 – छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

5 – राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अपने महासचिव के द्वारा, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारका, फेज–1, नई दिल्ली, पिन कोड 110077, जिला के माध्यम सेःनई दिल्ली, दिल्ली

---उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा संख्या 232/22

1 – श्रीमती वीणा वर्मा पिता श्री आर. पी. वर्मा लगभग 40 वर्ष सहायक प्रोफेसर (मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग), सरकारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

2–श्रीमती वर्तिका गौरा पिता श्री गौरव गौरा लगभग 42 वर्ष सहायक प्रोफेसर (मनोरोग नर्सिंग), सरकारी नर्सिंग कॉलेज, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़त

3 – श्रीमती तृप्ति सोनी पति श्री नंद कुमार सोनी लगभग 40 वर्ष सहायक प्रोफेसर (प्रसूति तथा स्त्री रोग नर्सिंग), सरकारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़

4 – श्रीमती श्रद्धा चंद्राकर पिता विकासचंद्रकर लगभग 36 वर्ष कीसहायक प्रोफेसर (मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग), सरकारी नर्सिंग कॉलेज अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़

5–श्रीमती फगानी बाई पिता खिलेंद्र कुमार लगभग 36 वर्ष सहायक प्रोफेसर (सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग), सरकारी नर्सिंग कॉलेज, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य –प्रधान सचिव के द्वारा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

2 – निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डीएमई), इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

3 – लोक सेवा आयोग, सचिव के द्वारा, लोक सेवा आयोग, शंकर नगर, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा संख्या 1342/22

1 – ममता शशि साहू,38 वर्ष वर्तमान में सहायक प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग (सी. जी.)

2 – रामा राजेश, पति श्री राजेश दीपक, 38 वर्ष , वर्तमान में सहायक प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग (सी. जी.)

3 – सुनीता वर्मा, पति श्री लालचंद वर्मा लगभग 38 वर्ष सहायक प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग (सी. जी.) विलेज।हरदुवा, एच. नं. 184 पोस्ट घुमका, जिला–राजनंदगांव

4 – श्रीमती ममता कपूर पति जसबीर सिंह कपूर लगभग 39 वर्ष वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग (सी. जी.) में सहायक प्रोफेसर

5 – दीपिका कुमार, पति श्री अमित कुमार, 41 वर्ष वर्तमान में सहायक प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग (सी. जी.)

6 श्वेता सेन्दूर, पिता श्री रेमन सैमुअल, लगभग 41 वर्ष की आयु में वर्तमान में सहायक प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग (सी. जी.)

7 – कल्पना भूषण जोशी पति श्री भूषण अविनाश जोशी लगभग 38 वर्ष वर्तमान में सहायक प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर, तहसील तथा जिला–रायपुर (सी. जी.) पिन 492002

2 – निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय पुराना नर्स छात्रावास, डी. के. एस. भवन, परिसार, रायपुर (सी. जी.)

3 – उप सचिव, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर तहसील तथा जिला–रायपुर (सी. जी.) पिन 492002

4 – छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपने सचिव के द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

5 – राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अपने महासचिव के द्वारा, पॉकेट–14 सेक्टर–8 द्वारका चरण–1, नई दिल्ली, पिन–110077

––उत्तरवादी

याचिकाकर्ताओं हेतु : श्री मनोज परांजपे, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शुभांक तिवारी द्वारा सहायता प्राप्त, रिट याचिका सेवा सं 93/2022 तथा 114/2022

याचिकाकर्ताओं हेतु : श्री विकास दुबे,अधिवक्ता रिट याचिका सेवा सं 232/22 तथा 436/2022

याचिकाकर्ताओं हेतु : श्री हिमांशु पांडे, अधिवक्ता रिट याचिका सेवा सं .1342/2022

याचिकाकर्ताओं हेतु : श्री घनश्याम कश्यप, अधिवक्ता रिट याचिका सेवा सं.7799/2022

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री संघर्ष पांडे, शासकिय अधिवक्ता डॉ.सुदीप अग्रवाल तथा श्री आनंद मोहन तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरवादी /सीजीपीएससी हेतु :सुश्री अनमोल शर्मा तथा श्री ऋषभ देव सिंह, केंद्र सरकार के अधिवक्ता

उत्तरवादी /राष्ट्रीय चिकित्सा आयोगहेतु :श्री वेंकटेश पांडे, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

रमेश सिन्हा के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश 12.09.2025

1. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री मनोज परांजपे, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री शुभांक तिवारी कर रहे थे, की दलीलें सुनीं। ये सभी याचिकाकर्ता डब्लूपीएस संख्या 93/2022 और 114/2022 में उपस्थित थे। श्री विकास दुबे, याचिकाकर्ताओं की ओर से डब्लूपीएस संख्या 232/2022 और 436/2022 में उपस्थित थे। श्री हिमांशु पांडे, याचिकाकर्ताओं की ओर से डब्लूपीएस संख्या 1342/2022 में उपस्थित थे। श्री घनश्याम कश्यप, याचिकाकर्ताओं की ओर से डब्लूपीएस संख्या 7799/2022 में उपस्थित थे। श्री संघ पांडे, प्रतिवादी–राज्य की ओर से उपस्थित शासकिय अधिवक्ता। डॉ. सुदीप अग्रवाल और श्री आनंद मोहन तिवारी, प्रतिवादी–सीजीपीएससी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता। सुश्री अनमोल शर्मा और श्री ऋषभ देव सिंह, प्रतिवादी–भारत संघ की ओर से केंद्रीय शासकिय अधिवक्ता। श्री वेंकटेश पांडे, प्रतिवादी–राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की ओर से उपस्थित शासकिय अधिवक्ता.

2. चूंकि इन रिट याचिकाओं में कानून और तथ्य के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए इन्हें एक साथ जोड़कर सुना गया और इस सामान्य आदेश द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है।प्रमुख मामला रिट याचिका सेवा संख्या 93/2022 है।

3. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:---

"1] माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वह उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 10.12.2021 को जारी अधिसूचना (अनुलग्नक पी/1) को रद्द करने हेतु रिट/रिट, निर्देश/निर्देश, आदेश/आदेश जारी करे और उत्तरवादी अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के रिक्त पदों को केवल वर्ष 2013 के नियमों की अनुसूची द्वितीय के नियम 6 के अनुसार भरने का निर्देश दिया जाए।

2] माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वह मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाली कोई अन्य अनुतोष प्रदान करे।"

4. मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं।शुरुआत में उनकी नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुई थी और बाद में उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया।उनकी शिकायत एक समान है और एक ही कारण से उत्पन्न हुई है, जिसके चलते यह संयुक्त याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 10.12.2021 की अधिसूचना को चुनौती देते हैं, जिसमें स्थापित भर्ती प्रक्रिया के विपरीत, प्रोफेसर के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए एक बार की छूट प्रदान की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवाओं में भर्ती के नियमितीकरण और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवा शर्तों से संबंधित नियम अधिसूचित/बनाए हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 (इसके बाद '2013 के नियम' कहा जाएगा) के नाम से जाना जाता है।

6. 2013 के भर्ती नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि प्रोफेसर का पद केवल 100% पदोन्नति द्वारा ही भरा जा सकता है।यह सर्वविदित तथ्य है कि न तो 2013 के नियमों में कोई संशोधन किया गया है और न ही इस संबंध में कोई संशोधन किया गया है, और न ही राज्य सरकार द्वारा 2013 के नियमों के नियम 6 या अनुसूची द्वितीय में संशोधन करने के लिए कोई कार्यकारी निर्देश जारी किए गए हैं।

7. प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 10.12.2021 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी–1) जारी की है, जिसके द्वारा प्रोफेसरों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए एक बार की छूट प्रदान की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार मूल नियम को दरकिनार करने के लिए अधिसूचना जारी नहीं कर सकती है।

2013 के मूल नियमों को निरस्त करने के लिए कोई संशोधन पेश या लागू नहीं किया जा सकता है।चिकित्सा शिक्षा विभाग के उप सचिव को केवल मूल नियम में संशोधन करने के लिए एक बार की छूट प्रदान करके 2013 के नियमों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है।प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा छूट प्रदान करने की कार्रवाई न केवल मनमानी है, बल्कि 2013 के नियमों के भी विपरीत है।अतः, यह याचिका प्रस्तुत किया गया है।

8. याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका संख्या 93/2022 और 114/2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे, जिनके साथ अधिवक्ता श्री शुभांक तिवारी भी उपस्थित थे, ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3/उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 10.12.2021 को जारी अधिसूचना, जिसमें प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए एक बार की छूट दी गई है, अवैध, मनमानी और पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 2013 के नियमों के नियम 22 में निहित छूट की शक्ति केवल सेवा शर्तों तक ही सीमित है, न कि भर्ती या पदोन्नति के क्षेत्रों तक, जैसा कि गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के ए.जे. पटेल बनाम गुजरात राज्य,एआईआर 1965 गुजरात 23 के निर्णय में स्पष्ट किया गया है।यह एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी संशोधन को छूट के रूप में किसी मूल नियम को निरस्त या प्रतिस्थापित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि 2013 के नियमों का नियम 6 स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि प्रोफेसर का पद केवल 100% पदोन्नति द्वारा ही भरा जाएगा। इस नियम में न तो कोई संशोधन किया गया है और न ही कोई बदलाव किया गया है, इसलिए इसे किसी कार्यकारी अधिसूचना या तथाकथित एकमुश्त छूट के माध्यम से रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसी छूट से कोई वैध उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसका भर्ती प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं है।इस प्रकार, आक्षेपित अधिसूचना न केवल 2013 के नियमों के विपरीत है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत संवैधानिक गारंटी के भी विपरीत है।वह यह भी प्रस्तुत करता है कि मूल एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में, याचिकाकर्ता प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु पूरी तरह से पात्र हैं।स्थापित विधि यह है कि जब कोई क़ानून किसी कार्य को करने हेतु एक विशेष तरीके को निर्धारित करता है, तो इसे अकेले उसी तरीके से किया जाना चाहिए तथा किसी अन्य तरीके से नहीं।भर्ती नियमों में एसोसिएट प्रोफेसर के पद से 100% पदोन्नति का स्पष्ट प्रावधान होने के कारण, एक बार की छूट के माध्यम से किसी भी प्रकार का विचलन अस्वीकार्य है।उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार 2013 के नियमों के नियम 22 का प्रयोग करके 2013 के नियमों की अनुसूची द्वितीय के मूल नियम 6 में संशोधन नहीं कर सकती है। छूट देने की शक्ति का प्रयोग मूल नियमों को निरस्त या कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है, न ही इसका विस्तार करके अप्रत्यक्ष रूप से संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। यदि विभाग को सीधी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है, तो याचिकाकर्ताओं के भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन होगा।इसके अतिरिक्त, आक्षेपित अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत विधानसभा की सहमति प्राप्त किए बिना और सदन के समक्ष संशोधन प्रस्तुत किए बिना जारी की गई थी, जिससे यह प्रक्रिया संवैधानिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रूप से दोषपूर्ण हो जाती है।इन सभी कारणों से, दिनांक 10.12.2021 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी–1) अधिकार क्षेत्र से बाहर, असंवैधानिक और 2013 के नियमों के तहत बनाई गई भर्ती योजना का उल्लंघन करने वाली होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

9. याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री विकास दुबे (डब्ल्यूपीएस संख्या 232/2022 और 436/2022), श्री हिमांशु पांडे (डब्ल्यूपीएस संख्या 1342/2022) और श्री घनश्याम कश्यप (डब्ल्यूपीएस संख्या 7799/2022) ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन किया गया।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी–राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकिय अधिवक्ता श्री संघराश पांडे ने याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि दिनांक 10.12.2021 की आक्षेपित अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका निराधार और योग्यताहीन है। याचिकाकर्ता, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, का तर्क है कि 2013 के नियमों के नियम 6 में प्रोफेसर पद पर 100% पदोन्नति अनिवार्य है और सीधी भर्ती के लिए एक बार की छूट देने वाली विवादित अधिसूचना उनकी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार का उल्लंघन करती है। राज्य ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत जारी की गई थी, उसी संवैधानिक शक्ति के तहत जिसके अंतर्गत 2013 के नियम बनाए गए थे।नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वीकृत पदों में भारी वृद्धि (242 प्रोफेसर और 396 एसोसिएट प्रोफेसर) के कारण यह आवश्यक हो गया था, जो उपलब्ध पात्र उम्मीदवारों की संख्या से कहीं अधिक थे। तत्काल भर्ती न होने पर, प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की गंभीर कमी से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मान्यता खतरे में पड़ जाएगी और चिकित्सा शिक्षा बाधित हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि 2013 के नियमों का नियम 22 राज्यपाल को नियमों में ढील देने या उन्हें संशोधित करने का स्पष्ट अधिकार देता है, जिसमें भर्ती और पदोन्नति संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति की संभावना बरकरार है; वे केवल मार्च 2021 में एसोसिएट प्रोफेसर बने तथा उन्हें प्रोफेसर हेतु पात्रता से पहले तीन साल की सेवा पूरी करनी होगी, उस समय तक पर्याप्त रिक्तियां अभी भी मौजूद होंगी। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अधिसूचना को विधिवत अनुमोदित किया गया था और यह एक वैध एकमुश्त छूट है, न कि कोई अनुचित संशोधन।मनमानी या अधिकार क्षेत्र के अभाव के सभी आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया जाता है।आक्षेपित अधिसूचना वैध, आवश्यक और राज्य की विधायी क्षमता के अंतर्गत है। तदनुसार, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, विवादित अधिसूचना और याचिका के साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

12. दिनांकित 10.12.2021 की आक्षेपित अधिसूचना में कहा गया हैः––

चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर अटल नगर, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-71/2021/55.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा नर्ती नियम, 2013 में नियमों में एक बार के लिये शिथिलीकरण करते हुए निम्नानुसार उपबंध किया जाता है, भविष्य में इसे पूर्व उदाहरण नहीं बनाया जायेगा, अर्थात् :-

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय दंत महाविद्यालय, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय एवं शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के रिक्त पदोन्नति के पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती से भरने हेतु एक बार की छूट प्रदान की जाती है।

2. जिन शिक्षकों ने प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय दंत महाविद्यालय, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय एवं शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों में संविदा पर शैक्षणिक कार्य किया है, तो उसे कार्य के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 01 वर्ष एवं अधिकतम 10 वर्ष की छूट आयु सीमा प्रदान की जाती है।

3. प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय दंत महाविद्यालय, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय एवं शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य करने के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 02 बोनस अंक दिये जायेंगे, किन्तु बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 10 अंक होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी.आर. प्रसन्ना, उप-सचिव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. मुख्य विवाद्यक इस प्रकार हैं:1. क्या 2013 के नियमों का नियम 22 राज्य को नियम 6 अनुसूची II में निर्धारित भर्ती के तरीके में ढील देने का अधिकार देता है।

2. क्या दिनांकित 10.12.2021 की आक्षेपित अधिसूचना विधिक रूप से मान्य है।

14. 2013 के नियमों के नियम 6 में कहा गया है:---

"6. भर्ती की विधि। (1) इन नियमों के लागू होने के बाद,सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जाएगी, अर्थात्: -

(क) चयन द्वारा सीधी भर्ती (प्रतियोगी परीक्षा और/या साक्षात्कार);

(ख) अनुसूची-IV के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट सदस्यों को उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति द्वारा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट सेवाओं में स्थायी या कार्यवाहक पदों पर आसीन व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(1) उप–नियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-I में निर्दिष्ट ड्यूटी पदों की संख्या के अनुसूची-II में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

(2) इन नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,सेवा में किसी विशेष पद या पदों को भरने के लिए अपनाई जाने वाली भर्ती विधि या विधियाँ, जो किसी विशेष भर्ती अवधि के दौरान भरी जानी आवश्यक हों, और प्रत्येक विधि द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से निर्धारित की जाएगी

(3) उप–नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की आवश्यकता हो, तो सरकार उक्त उप–नियम में निर्दिष्ट विधियों के अतिरिक्त, सेवा में भर्ती की ऐसी विधि अपना सकती है, जिसे वह इस संबंध में जारी आदेश द्वारा निर्धारित करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जनादेश, अनुसूचित जनादेश और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए (संशोधित) निर्देश लागू होंगे।"

15. वर्ष 2013 के नियमों के नियम 6(1)(ख) और अनुसूची द्वितीय के सरल अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रोफेसर का पद 100% पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा (कृपया अनुसूची द्वितीय नियम 6 की प्रविष्टि/क्रम संख्या 50 देखें)।

16. वर्ष 2013 के नियमों का नियम 22 राज्यपाल को नियमों में "उचित और न्यायसंगत तरीके से" छूट देने का अधिकार देता है, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति के साथ कम अनुकूल व्यवहार न किया जाए। वर्ष 2013 के नियमों का नियम 22 छूट से संबंधित है, जिसे संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:–––

" नियम 22 शिथिलता :––इन नियमों में निहित कोई भी बात राज्यपाल की उन शक्तियों को सीमित या संकुचित नहीं करेगी जिनके तहत वे इन नियमों के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति के मामले से उस तरीके से निपट सकते हैं जो राज्यपाल को न्यायसंगत और उचित प्रतीत हो;परंतु कि मामले से उस व्यक्ति के हित में इन नियमों में दिए गए प्रावधानों से कमतर तरीके से निराकरण नहीं जाएगा।"

वर्ष 2013 के नियमों के नियम 22 का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि नियम 22 को मूल नियमों, अर्थात् अनुसूची द्वितीय के नियम 6 को निरस्त करने की सीमा तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

17. याचिकाकर्ता एसोसिएट प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।यह सर्वविदित है कि पदोन्नति के लिए विचार किया जाना कर्मचारी का मौलिक अधिकार है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत परिकल्पित है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम हेमराज सिंह चौहान और अन्य, 2010 (4) एससीसी290 के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया:–

"35. न्यायालय को अपीलकर्ताओं/केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के संवैधानिक दायित्व को ध्यान में रखना चाहिए।केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, जो कल्याणकारी राज्य में उनकी भूमिका के अनुरूप है।

36. यह एक स्वीकृत कानूनी स्थिति है कि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद 16 के तहत पदोन्नति के मामलों में निष्पक्ष विचार की गारंटी वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी से प्राप्त होती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. यदि प्रोफेसरों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, तो प्रोफेसरों के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिकार का हनन होगा।भर्ती नियमों में यह प्रावधान है कि प्रोफेसरों के पद 100% पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते हैं, इसलिए उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए एक बार की छूट के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं अपनाया जा सकता है।नियमों के अंतर्गत 2013 के नियमों की अनुसूची द्वितीय के मूल नियम 6 में संशोधन करने के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

20. सर्वोच्च न्यायालय ने आर.एन. नंजुंदप्पा बनाम टी.थिम्मिया और अन्य (1972) 1 एससीसी 409 के मामले में दोहराया किभर्ती की शर्तों को कार्यकारी निर्देशों या वैधानिक नियमों के विपरीत छूट द्वारा बदला नहीं जा सकता है।निर्णय के कंडिका 23 और 24 में निम्नलिखित कहा गया है:–––

"23. राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य को नियुक्ति को नियमित करने का नियम बनाने का अधिकार है।संविधान के अनुच्छेद 162 और सरकार की नियुक्ति करने की शक्ति का सहारा लिया गया।सरकार की नियुक्ति करने की शक्ति को कोई नकार नहीं सकता है। यदि यह सीधी नियुक्ति का मामला होता, या यदि यह प्रतियोगी परीक्षा द्वारा किसी उम्मीदवार की नियुक्ति का मामला होता, या यदि यह चयन द्वारा नियुक्ति का मामला होता, तो नियमितीकरण के लिए अनुच्छेद 309 के तहत नियम का सहारा लेना आवश्यक नहीं होता।"मान लीजिए कि अनुच्छेद 309 के तहत किसी एक व्यक्ति

की नियुक्ति के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस पर दो सीमाएँ हैं। अनुच्छेद 309 नियुक्ति के नियमों और सेवा की सामान्य शर्तों के बारे में बताता है।किसी भी नियम के बावजूद नियुक्ति को नियमित करने का दावा करना नियमों के मूल पर प्रहार करता है, और यदि नियमितीकरण का प्रभाव नियमों के संचालन और प्रभावशीलता को समाप्त करना है, तो नियम स्वयं इस आधार पर आलोचना के योग्य है कि यह वर्तमान नियमों का उल्लंघन करता है।अतः, पदोन्नति और नियुक्ति संबंधी सुसंगत नियमों का उल्लंघन हुआ है और आक्षेपित नियम को किसी व्यक्ति की नियुक्ति को नियमित करने के रूप में लागू नहीं होने दिया जा सकता, क्योंकि यह पदोन्नति और चयन या प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति के मामलों में वरिष्ठता और योग्यता पर विचार करने के नियमों का घोर उल्लंघन है।

24. राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि मैसूर राज्य सिविल सेवा नियम, 1957 के नियम 3 में भर्ती की विधि प्रतियोगी परीक्षा, चयन या पदोन्नति के रूप में बताई गई है।प्रत्येक राज्य सिविल सेवा के लिए भर्ती विधि और योग्यताएं भर्ती नियमों में निर्धारित की जानी थीं, लेकिन 1964 तक कोई नियम नहीं थे। 1964 में नियम के अनुसार, खान विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद प्रथम श्रेणी का होना चाहिए था और खान विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद की भर्ती अनुभाग प्रमुखों के कैडर से पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा की जानी थी।प्रतिवादी की ओर से यह कहा गया कि वह 1964 में एकमात्र पात्र उम्मीदवार थे, इसलिए उनकी नियुक्ति वैध थी।यह तथ्यों के विपरीत है।यह 1958 में या किसी भी समय की सीधी भर्ती का मामला नहीं है। राज्य ने 1967 में फरवरी 1958 से नियुक्ति को नियमित करने के लिए नियम बनाए। फिर, यदि यह सीधी भर्ती का मामला होता तो सीधी भर्ती के लिए उचित सामग्री की अपेक्षा की जाती है। पद के लिए विज्ञापन जारी किए जाने चाहिए थे।उम्मीदवारों का चयन किया जाना है।उनकी संबंधित योग्यताओं पर विचार किया जाना चाहिए।यह कहना कि अपीलार्थी एकमात्र पात्र उम्मीदवार था, इस तरह के पात्रता परीक्षणों हेतु आवेदन करने हेतु दूसरों के अधिकारों से इनकार करना है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. यह एक सुस्थापित लाभकारी सिद्धांत है कि यदि कोई क़ानून किसी चीज़ को किसी विशेष तरीके से करने का प्रावधान करता है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।(देखें यूनियन ऑफ इंडिया और **अन्य बनाम महेंद्र सिंह [सिविल अपील संख्या 4807 ऑफ 2022], सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25.07.2022 को दिया गया निर्णय, कंडिका 15 से 17) और नूर मोहम्मद बनाम खुर्रम पाशा [एसएलपी (आपराधिक) संख्या 2872 ऑफ 2022], 2.8.2022 को दिया गया निर्णय, कंडिका 13)।**

22. आक्षेपित अधिसूचना, सीधी भर्ती खोलकर, याचिकाकर्ताओं के भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन करती है। यद्यपि राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत सेवा नियमों को बना या संशोधित कर सकता है, फिर भी ऐसे संशोधन के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, न कि केवल एक "एक बार की छूट" अधिसूचना जारी करके, जो मौजूदा नियमों को निरस्त कर दे।

2013 के नियमों में कोई औपचारिक संशोधन नहीं किया गया है और न ही इसे विधानमंडल के समक्ष रखा गया है।

23. दिनांक 10.12.2021 की आक्षेपित अधिसूचना संविधान और 2013 के नियमों के विरुद्ध है।वर्ष 2013 के नियमों के नियम 22 के अंतर्गत राज्य द्वारा दी गई छूट की शक्ति, अनुसूची II के नियम 6 में निहित 100% पदोन्नति के मूल आदेश को निरस्त नहीं कर सकती है। अतः, नियम 22 का विस्तार करके अनिवार्य 100% पदोन्नति के स्थान पर सीधी भर्ती लागू नहीं की जा सकती है।

24. आक्षेपित अधिसूचना दिनांक 10.12.2021, संविधान तथा 2013 के नियमों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 के नियमों के नियम 22 के तहत दी गई छूट अनुसूची II के नियम 6 में निर्धारित 100% पदोन्नति के वैधानिक आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती है। इसलिए, नियम 22 की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती है कि यह निर्धारित 100% पदोन्नति के स्थान पर सीधी भर्ती की अनुमति दे, क्योंकि यह स्पष्ट वैधानिक आवश्यकता के विपरीत होगा।

25. उपरोक्त कारणों से, सभी रिट याचिकाएँ स्वीकार किए जाने योग्य हैं और स्वीकार की जाती हैं, तथा प्रतिवादी संख्या 3/उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 10.12.2021 को जारी अधिसूचना संख्या एफ–3–71/2021/55 (अनुलग्नक पी–1) को निरस्त किया जाता है। उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे पात्र एसोसिएट प्रोफेसरों में से पदोन्नति द्वारा 2013 के नियमों के अनुसार ही प्रोफेसर के पदों को भरें।इस पर कोई वाद व्यय देय का कोई आदेश नहीं किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

सही /–
(रवींद्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश

हेड–नोट

छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा एवं सेवा शर्तें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा गठित छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 के नियम 22 के अंतर्गत दी गई छूट की शक्ति केवल सेवा शर्तों तक ही सीमित है और यह किसी मूल भर्ती प्रावधान को निरस्त या संशोधित नहीं कर सकती है।कार्यकारी अधिसूचना 100% पदोन्नति की आवश्यकता वाले वैधानिक आदेश को निरस्त नहीं कर सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur